



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-499

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 304064 दिनांक 19/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Deepak Garg S/o Harimohan Gupta	श्रीमती पदमा गौतम पत्नी स्व. श्री ठाकुरदास	280	45.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block-B	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक श्री दीपक गर्ग पुत्र श्री हरिमोहन गुप्ता द्वारा जविप्रा की योजना राम नगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या बी-280 क्षेत्रफल 45 व.मी. के लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या बी-280 क्षेत्रफल 45 व.मी. की लीजडीड दिनांक 14.12.2004 को श्रीमती पदमा गौतम पत्नी स्व. श्री ठाकुरदास के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या बी-280 क्षेत्रफल 45 व.मी. को श्रीमती पदमा गौतम पत्नी स्व. श्री ठाकुरदास द्वारा दिनांक 21.01.2011 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								अपंजीकृत इकरारनामा एवं वसीयत तथा पंजीकृत मुख्त्यारनामा आम द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण माथुर पुत्र स्व. श्री पी.एम. माथुर को किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या बी-280 क्षेत्रफल 45 व.मी. को श्री लक्ष्मीनारायण माथुर पुत्र स्व. श्री पी.एम. माथुर द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2011 को श्री सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल भुवांलिया को बेचान किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या बी-280 क्षेत्रफल 45 व.मी. को श्री सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल भुवांलिया द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2024 को श्री दीपक गर्ग पुत्र श्री हरिमोहन गुप्ता को बेचान किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Deepak Garg S/o Harimohan Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |